कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।

पत्रांकः न–9/स्कू0भ0मा0–D-PO-233-2021 दिनांकः अगस्त 05, 2021

सेवा में,

SH. SAJAN KUMAR LAMA S/O LATE SH. SH.SHHRING LAMA (TAMANG)
SCHOLAR BEAM SCHOOL.
Khasra No- 2067/3 MIN मौजा आर्केडिया ग्रान्ट, परगना परवादून
CHANDRABANI CHOILA, P.O MOHABBEWALA
जनपद–देहरादून।

विषय **अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) विषयक।**

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एंव आपात सेवा उत्तराखण्ड़ की बैबसाईट पर आवेदित यूनिक नम्बर 51923202 दिनांक 02.08.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Khasra No- 2067/3 MIN मौजा आर्केडिया ग्रान्ट, परगना परवादून, CHANDRABANI CHOILA, P.O MOHABBEWALA जनपद देहरादून हेतु में निर्मित शैक्षणिक भवन (SCHOLAR BEAM SCHOOL) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत शैक्षणिक भवन का निरीक्षण प्राथमिक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया एवं संस्तुति आख्या दिनांक 03.08.2021 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई। निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन का वाहन पहुँच सकता है।
2. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।
3. निरीक्षण की तिथि को भवन भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल में निर्मित है।
4. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन मे 05 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत पानी टैंक तथा उचित क्षमता के पम्प का प्राविधान किया गया है।
5. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के प्रत्येक तल में होजरील का प्राविधान किया गया है।
6. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया गया है, जो कार्यशील एवं सन्तोषजनक दशा मे है।
7. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में एमसीपी एवं हूटर का प्राविधान किया गया है।
8. निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम0सी0बी0 एवं ई0एल0सी0बी0 पर आधारित है।
9. प्रश्नगत शैक्षणिक भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन यन्त्र संचालन का ज्ञान होना आवश्यक है।
10. प्रश्नगत शैक्षणिक भवन विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
11. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य को निकास मार्ग/सैट बैक को सदैव अवरोध रहित रखने, भवन में प्रेशर युक्त होजरील एवं एमसीपी हूटर लगाने हेतु निर्देशित किया गया है।
12. स्वामी/प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि यदि उक्त क्षेत्र किसी विकास प्राधिकरण में आता है तो भवन का मानचित्र नियमानुसार स्वीकृत किया जाना एवं भवन निर्माण उपविधि का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
13. प्रश्नगत भवन मे फायर सर्विस का टेलीफोन नम्बर–0135–2716242 एंव पुलिस कन्ट्रोल रूम का टेलीफोन नम्बर–100, 112 एवं एम्बूलेन्स का टेलीफोन नं0–108 अंकित किये जाने हेतु प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर Khasra No- 2067/3 MIN मौजा आर्केडिया ग्रान्ट, परगना परवादून, CHANDRABANI CHOILA, P.O MOHABBEWALA जनपद देहरादून हेतु में निर्मित शैक्षणिक भवन (SCHOLAR BEAM SCHOOL) हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नही है। वशर्ते शैक्षणिक भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रधानाचार्य प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्च स्तर का बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चत करेंगें। भवन स्वामी/सोसाइटी/प्रधानाचार्य को उक्त भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन एवं आपात सेवा, देहरादून से करवाकर उक्त व्यवस्था का कार्यशील होने का प्रमाण पत्र (Annual Clearance) अवश्य लेना होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों कों रखेगें ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(आर0 एस0 खाती) 5/8/21
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून